एस. गुप्ता

न्यायाधीश एम.एम. कुमार और राजीव नारायण रैना **के समक्ष**

मैसर्स वर्धम एक ट्रेडिंग कंपनी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीएनओ। 2008 की 5230

15 दिसंबर, 2011

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14, 19,226/22 7 - हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (अचल संपत्ति का विक्रय) नियम, 2000 - आरएल 3(Hi) - पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 -

S. 7,10- पुराने बाजार के कमीशन एजेंटों (कच्चा आरतिया) को अधिमानी मूल्य पर भूखंडों का आवंटन जिसे डी-नोटिफाई किया जाना है - वायर को चुनौती दी गई - थोक व्यापारी और कच्चा आर्तिया फॉर्म दो

पृथक वर्ग और इस प्रकार भूखंडों/दुकानों के आवंटन के लिए पात्रता के प्रयोजनों के लिए समानता का दावा नहीं कर सकते हैं - कच्चा आर्तिया कमीशन के विचार में कृषि उपज बेचने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है - नीलामी केवल अधिसूचित बाजार यार्ड के भीतर ही हो सकती है - थोक व्यापारी बाजार यार्ड के बाहर भी व्यापार कर सकता है - उचित वर्गीकरण - दुकानें/बूथ केवल बिक्री और खरीद की सुविधा के लिए हैं - यह सुविधा के लिए अधिक है - कमजोर की रक्षा करने का उद्देश्य था प्रशंसनीय और लेकिन इस सुरक्षा के लिए, उसे उखाड़ फेंका गया हो सकता है - वीरेस को बरकरार रखा गया।

यह माना जाता है कि अधिनियम और नियमों को पढ़ने पर, डब्ल्यूसी ने पाया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए धारा 10 के तहत डीलर लाइसेंस के व्यवसाय की सीट मंडी की भौतिक सीमाओं के भीतर होनी चाहिए। अधिनियम और नियमों में केवल यह अपेक्षा की गई है कि नीलामी उत्पाद की बिक्री और खरीद के लिए नीलामी अधिसूचित बाजार यार्ड या उप-यार्ड के भीतर होनी चाहिए। दुकानें/बूथ, यदि वे मौजूद हैं, तो वे केवल बिक्री और खरीद की सुविधा के लिए हैं। यह सुविधा के लिए अधिक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स चिंट राम राम चन्द बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में लाइसेंसधारी डीलर को वैकल्पिक स्थल अथवा दुकान उपलब्ध कराने के मुद्दे की जांच की गई है। पंजाब राज्य और अन्य ने (1996) 9 एससीसी 338 में रिपोर्ट किया और यह पाया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी) या 21 के तहत मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। इस मामले में नए बाजार यार्डों में वैकल्पिक दुकानों के आबंटन के लिए मौजूदा लाइसेंसियों/डीसीएलसीसीआर के अधिकारों और खुली नीलामी के खिलाफ उनके दावे और नए बाजार में उचित दर पर वैकल्पिक स्थलों या दुकानों के आवंटन के लिए विचार किया गया था कि नीलामी द्वारा बिक्री सरकार द्वारा संपत्ति के निपटान/साल्क के सबसे उचित साधनों में से एक है। यह सभी को बोली लगाने का अवसर देता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता बिना किसी प्रतिबंध के नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(पैरा 13)

आगे कहा गया, कि दोहरे परीक्षण को लागू करके, डब्ल्यूसी नियम 3 (i) (iii) के वाइस को थोक डीलरों और कच्चे आर्टिया के बीच एक उचित वर्गीकरण बनाने के रूप में बनाए रखता है और कमजोर व्यक्ति की रक्षा करने का उद्देश्य प्रशंसनीय था और लेकिन इस सुरक्षा के लिए, उसे उखाड़ फेंका जा सकता था।

(पैरा 14)

2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या 5230 में याचिकाकर्ताओं के लिए कोई नहीं

आलोक जैन, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए (सीडब्ल्यूपी संख्या 12455 ऑफ 2008 में)।

अशोक जिंदल, जोड़ें!. उत्तरदाताओं के लिए ए.जी.

रहव नारायण रैना, जे।

(एक)यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर उपरोक्त दो रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा, जिसमें 1 लारियाना राज्य कृषि विपणन बोर्ड (अचल संपत्ति की बिक्री) नियम, 2000 (संक्षेप में, "आरयूएलसीएस 2000 एन) के नियम 3 (iii) के अधिकारों को चुनौती दी गई है, जहां तक कि यह पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंटों को भूखंडों का आवंटन नहीं करता है, (क) हरियाणा राज्य में पुराने लाइसेंसधारी कहे जाने वाले सुविधा के लिए हरियाणा राज्य के लिए यथा लागू 1961 (संक्षेप में, 1961 अधिनियम) के तहत एक राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (संशोधन) अधिनियम, 1961 में पुराने लाइसेंसधारक कहे जाने वाले राज्य के लिए 1961 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है। मदलौदा, जिला पानीपत में अधिसूचित माकट यार्ड। इस तरह की चुनौती देने में याचिकाकर्ताओं ने मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि सांस्कृतिक विपणन बोर्ड, पंचकूला (संक्षेप में "आईआईएस एएमबी") द्वारा पारित दिनांक 24.1.2008 (पीएल) और (पी-1/ए) दोनों आदेशों का विरोध किया है, जिसमें आरक्षित मूल्य पर भूखंडों के आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वे नियमों में निर्धारित अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। हालांकि उन्हें मडलौडा में न्यू ग्रेन मार्केट में खुली नीलामी के माध्यम से एक भूखंड खरीदने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग में जारी अधिसूचना दिनांक 29.2.1998 को चुनौती दी गई है (1961 अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए) जो मडलौडा (आर 2) में उप बाजार यार्ड, पुराना अनाज मंडी को समाप्त करता है।

(दो) याचिका में उठाए गए मुद्दों के बारे में संक्षिप्त तथ्य जो जांच करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, उन्हें फिर से बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे डीलरों के रूप में व्यापार करने के लिए जारी किए गए पुराने लाइसेंस के तहत कमीशन एजेंटों (कच्चे अरलिया) के व्यवसाय में लगे हुए हैं । ये लाइसेंस नियम 17(6) के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 के तहत बोर्ड द्वारा दिनांक 1-5-1992 और 25-4-1997 को जारी

किए गए हैं। फॉर्म बी में निर्दिष्ट लाइसेंस आर्क की शर्तों को अनुलग्नक पी 3 और पी 4 के रूप में जोड़ा गया है। याचिका में यह कहा गया है कि बिक्री और खरीद का व्यवसाय अधिसूचित बाजार यार्ड के लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा अर्जित किया जा सकता है जो कि प्रधान यार्ड या उप-यार्ड हो सकता है। मडलौदा में, पुराने अनाज बाजार में अधिनियम के तहत अधिसूचित प्रधान यार्ड के अलावा कई उप यार्ड हैं जहां याचिकाकर्ताओं को व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस दिया गया था।

(तीन) इसके बाद यह कहा गया है कि एचएसएएमबी, पंचकुला ने मडलौडा सहित पूरे राज्य में नए अनाज बाजारों की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की और पुराने बाजार यार्डों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया। चूंकि उनके

विस्थापन की धमकी दी गई थी, याचिकाकर्ताओं ने अन्य डीलरों के साथ इस न्यायालय में 1998 की सीडब्ल्यूपी 12207 दायर की और प्रार्थना की कि उन्हें आरक्षित मूल्य पर वैकल्पिक भूखंड दिए जाएं और तब तक उन्हें पुराने बाजार यार्ड में जारी रखने की अनुमति दी जाए। आगे यह उल्लेख किया गया है कि इस न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं जो अंतत माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुंची और शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने नए बाजार यार्डों में पुराने लाइसेंसधारियों के लिए दुकानों हेतु 45% भूखंड आरक्षित करने की नीति तैयार की। पात्रता के लिए शर्तों में से एक यह था कि एक लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त डीलर के रूप में दो साल से अधिक समय तक काम करना चाहिए, फिर भी एक वैध लाइसेंस धारण कर रहा था। कहा जाता है कि यह नीति 1994 में अस्तित्व में आई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7-8-1991 (पी5) के निर्णय का उल्लेख प्रेमचंद तरलोक चंद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में किया गया है जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि पुरानी से नई साइटों की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में पुराने स्थलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। आगे यह कहा गया है कि वर्ष 1997 में, प्रतिवादी-बोर्ड ने खुली नीलामी द्वारा 74 भूखंडों को आवंटित करने का निर्णय लिया। इससे व्यथित याचिकाकर्ता नंबर 1 ने 1998 का सीडब्ल्यूपी 12207 दायर किया और अन्य दो याचिकाकर्ताओं ने तरजीही आवंटन के लिए 2006 की सीडब्ल्यूपी 3484 दायर की। दिनांक 5-8-1998 को एक अंतरिम आदेश (पी6) पारित किया गया था कि नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। याचिका के लंबित रहने के दौरान, नए नियम और विनियम अस्तित्व में आए, जिसके कारण मामले को नए नियमों के तहत विचार के लिए मुख्य प्रशासक एचएसएएमबी, पंचकूला के पास भेज दिया गया। रिमांड कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने 18 बेची गई दुकानों की नीलामी के निर्णय के खिलाफ 2008 की

सीडब्ल्यूपी 16736 के माध्यम से फिर से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने दिनांक 4-2-2008 के अंतरिम आदेश द्वारा 28-3-2008 के लिए नोटिस जारी किया और इसी बीच सुनवाई की अगली तारीख तक नीलामी पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं की अपील/प्रतिवादियों को निस्तारण करने का निदेश भी जारी किया गया था। तथापि, इस बीच इस याचिका में चुनौती दिए गए दिनांक 24-01-2008 के दो आदेश अस्तित्व में आ गए थे जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका को निष्फल मानते हुए 13-03-2008 को खारिज कर दिया गया था। मार्च 2008 में जब वर्तमान याचिका दायर की गई थी तब यह व्यापक पृष्ठभूमि थी।

(चार) नियमों को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने नियम 3 (iii) की वैधता पर सवाल उठाया है, जिसे भेदभावपूर्ण कहा जाता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और '19 (जी) द्वारा हिट किया गया है, 'याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उन्हें भूखंडों के आवंटन के मामले में कच्चा कला से अलग नहीं माना जा सकता है और इसलिए, प्रावधान कानूनी रूप से खराब है और इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए।

(पाँच) याचिका पर नोटिस जारी होने पर, प्रतिवादियों ने उपस्थित होकर अलग-अलग लिखित बयान दायर किए, एक कृषि विभाग में प्रतिवादी/राज्य की ओर से और एक प्रतिवादी बाजार समिति की ओर से अपने सचिव के माध्यम से।

(छः) रिट याचिका के बचाव में, प्रतिवादियों ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (अचल संपत्ति की बिक्री) नियम 2000 के नियम 3 (iii) पर भरोसा किया है, जिसे 10.3.2000 को अधिसूचित किया गया था। विवाद की सराहना करने के लिए, नियम 2 (1) (बी) का पाठ जो "श्रेणी (ii) लाइसेंस और नियम 3 (iii)" को परिभाषित करता है, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> *(तीन)* (हाय) केवल वे श्रेणी (ii) लाइसेंस आवंटन के लिए पात्र होंगे जिनके पास पहली नीलामी की तारीख को दो साल का वैध लाइसेंस है, मंडियों के मामले में जहां पहले से विकसित मंडियों के मामले में कुछ नीलामी पहले ही आयोजित की जा चुकी है, जहां अब तक कोई नीलामी नहीं हुई है, लाइसेंसों के पास जेएसटी जनवरी को कम से कम पांच साल के लिए श्रेणी (ii) का वैध लाइसेंस होना चाहिए, 2000. भविष्य में विकसित की जाने वाली मंडियों के मामले में, लाइसेंसधारियों के पास भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम) की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने की तारीख को श्रेणी (ii) का कम से

कम दो साल का लाइसेंस होना चाहिए, या बाजार समिति को भूमि के हस्तांतरण की तारीख, यदि भूमि अन्यथा प्राप्त की जाती है, जैसा कि ग 'एएस हो सकता है;

नियम 2000 का घोषित उद्देश्य और उद्देश्य पूरे हरियाणा राज्य में बोर्ड और इसकी बाजार समितियों की अचल संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित करना है। नियम 3 (i) में कहा गया है कि बोर्ड या बाजार समितियों द्वारा विकसित बाजारों में सभी अचल संपत्तियों को नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवंटन, हस्तांतरण या खुली नीलामी के माध्यम से निपटाया जाएगा। दुकानों और भूखंडों को पुराने बाजार की श्रेणी (i) के पुराने लाइसेंसधारियों को आवंटित किया जाएगा, जिसे डी-नोटिफाई किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप श्रेणी (ii) के ऐसे लाइसेंसधारी डीलरों का विस्थापन नए बाजार में कृषि उपज की बिक्री और खरीद के व्यवसाय के संचालन के लिए फ्री होल्ड आधार पर होगा। नियम 30(1) के तहत 11 नियम और शर्तें निर्धारित हैं। इस याचिका में,

नियम 2 (1) (बी) के साथ जो एक श्रेणी (ii) लाइसेंसधारी को परिभाषित करता है और इसे कच्चा कला के व्यवसाय तक सीमित करता है और नियम 3 (iii) जो निम्नलिखित तरीके से आवंटन का लाभ देता है: -

(एक) पहली नीलामी के मामले में, मंडियों में जहां कुछ नीलामी आयोजित की गई है।

(ग्यारह) श्रेणी (ii) विकसित मंडियों में 1.1.2000 को कम से कम पांच वर्षों के लिए लाइसेंसधारक, जहां कोई नीलामी आयोजित नहीं की गई है और जिसके पास पांच साल के लिए वैध लाइसेंस है।

(एक सौ ग्यारह) भविष्य में विकसित की जाने वाली मंडियों में लाइसेंसधारियों के पास भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख या भूमि अधिग्रहण कार्यवाही का सहारा लिए बिना बाजार समिति को भूमि के हस्तांतरण की तारीख को कम से कम श्रेणी (ii) लाइसेंस होना चाहिए।

(सात) वर्तमान नियम प्रतिवादी-राज्य द्वारा मैसर्स लाभा राम एंड संस बनाम पंजाब राज्य (1) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में तैयार किए गए हैं।

(आठ) याचिकाकर्ताओं को नियम 3 (iii) के साथ पठित नियम 2 (1) (बी) के संचालन के आधार पर नियम 3 (iii) के लाभ से बाहर रखा गया है, जो केवल कच्चे आर्टिया को आवंटन के लिए विचार के योग्य बनाता है। 'याचिकाकर्ताओं ने थोक व्यापार में शामिल "कमीशन एजेंट" को स्वीकार किया। हरियाणा नियमों के नियम 2 (1) (बी) में उल्लिखित धारा 10 लाइसेंस के लिए आवेदन, भुगतान की जाने वाली फीस और लाइसेंस के निलंबन के लिए रद्द करने से संबंधित है। यह उत्तरदाताओं का तर्क है कि कच्चा आर्टिया और थोक व्यापारी दो अलग-अलग वर्ग बनाते हैं और इस प्रकार भूखंडों/दुकानों के आवंटन के लिए पात्रता के प्रयोजनों के लिए समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह, दुकानों के डॉक्स का गैर-आवंटन याचिकाकर्ताओं को अधिसूचित बाजार यार्ड में थोक व्यापार करने के लिए मना नहीं करता है। यह उत्तरदाताओं का आगे का रुख है कि याचिकाकर्ताओं ने सीडब्ल्यूपी 1\10 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1998 की रिट याचिका सं 12207, 1999 की 1780 और 1999 की 293 में रिट याचिका दायर की है और नए नियमों के अधीन बोर्ड को आबंटन के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिकाओं को वापस ले लिया है।

---

(1) (1998) 5 एससीसी 207

2000 के नियमों के कथित अपमानजनक प्रावधानों को चुनौती देने से। हम 4.5.2006 को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित संक्षिप्त आदेश को पुन: प्रस्तुत करते हैं: -

"सीडब्ल्यूपीनो, 1999 का 293

वर्तमान: श्री रवि कपूर, याचिकाकर्ता के वकील।

श्री अजय गुलाटी, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा श्री के.के.गुप्ता, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

"याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री रवि कपूर बताते हैं कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नए नियम बनाए गए हैं। विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अब अपनी पात्रता के अनुसार नए नियमों के संदर्भ में बोर्ड पर लागू होगा और याचिकाकर्ता को उपरोक्त स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाएगा।

याचिकाकर्ता को पात्र होने पर नए नियमों के तहत बोर्ड में आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर कानून के अनुसार नए नियमों के तहत विचार किया जाएगा।

रिट याचिका का निपटारा पूर्वोक्त टिप्पणियों के साथ किया जाता है। "यह राज्य के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इस आदेश के चेहरे पर, याचिकाकर्ताओं ने नियम 3 (iii) की शक्तियों को चुनौती देने से रोक दिया है। बचाव पक्ष का सार यह है कि याचिकाकर्ताओं के पास थोक डीलर लाइसेंस है। लाइसेंसिंग नीति थोक डीलरों को बाजार यार्ड के साथ-साथ बाजार यार्ड के बाहर भी व्यापार करने की अनुमति देती है। एक कच्चा आर्टिया बाजार यार्ड में लाए गए कृषि उपज की बिक्री के लिए विचार या कमीशन के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। वह बाजार यार्ड के बाहर कानूनी और वैध व्यवसाय में संलग्न नहीं हो सकता है। इस प्रकार, पुराने बाजार यार्ड की अधिसूचना के साथ, जैसा कि वर्तमान मामले में है, एक कच्चा आर्टिया विस्थापित होने के लिए बाध्य होगा क्योंकि उसे अपने व्यवसाय को नए अधिसूचित क्षेत्र में भौतिक रूप से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। हालांकि, यह थोक डीलर का मामला नहीं है क्योंकि वह अभी भी बाजार यार्ड के बाहर भी अपने व्यवसाय पर कैनी कर सकता है। 'रेफरफोर, टीएचसी विशेष संरक्षण कच्चा आर्टिया को दिया गया।

(नौ) प्रतिवादी के वकील के तर्क का एक और अंग यह है कि मडलौडा में मौजूदा बाजार क्षेत्र 29.2.1998 को डीसी-अधिसूचित किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 तब लाइसेंसधारी भी नहीं थे क्योंकि उन्होंने क्रमशः 19.6.1992, 25.4.1997 और 1.5.1992 को पहली बार लाइसेंस रखा था। वे कच्चे आर्तिया के साथ समानता का दावा नहीं कर सकतेहैं जो पुराने बाजार क्षेत्र की अधिसूचना रद्द करने के समय मौजूदा लाइसेंसधारी हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 पर एक और बार काम करेगा क्योंकि उसने 28.3.2005 को लिखित रूप में दिया था कि वह पुरानी बाजार समिति के डी-नोटिफाइड क्षेत्र में स्थानांतरित हो रहा था और याचिका में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है।

(दस) यह उल्लेखनीय होगा कि प्रतिवादी-राज्य ने पहली बार 7.5.1985 को अधिसूचना जारी की थी जिसके द्वारा न्यू ग्रेन मार्केट-मंडी मडलौड़ा को "प्रिंसिपल यार्ड" घोषित किया गया था और ओल्ड ग्रेन मार्केट/मंडी मडलौड़ा को सब मार्केट यार्ड घोषित किया गया था। तत्पश्चात्, दिनांक 29.2.1988 (आर2) की अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा "पुरानी अनाज मंडी/मंडी", यानी उप-मंडी यार्ड को अधिसूचित/समाप्त कर दिया गया था। बाजार समिति द्वारा दायर लिखित बयान में, पैरा 7 से 8 के जवाब में जोरदार ढंग से कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी किसानों के जमीनी स्तर पर कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हुए कच्चा कला का व्यवसाय नहीं किया है । इससे भी आगे, वह याचिकाकर्ता नंबर 3-फर्म श्रीमती शीला ओवी के एकमात्र स्वामित्व के तहत चलाई गई थी, जिनकी मृत्यु 6.10.2006 को हो गई थी और उसके बाद धारा 1 ओवास के तहत उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था।

(ग्यारह) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आलोक जैन ने 1961 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि कच्चा कला को लाभ प्रतिबंधित करना भेदभावपूर्ण है, कच्चे आर्टिये एएस भी कमीशन एजेंट हैं और धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त हैं। धारा 2 (एचएच) लाइसेंसधारी को धारा 10 के तहत लाइसेंस प्रदान किए गए व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है और इसमें कोई भी प्रति~ शामिल है जो कृषि उपज खरीदता/बेचता है और जिसे लाइसेंस कमीशन के कच्चे या अन्यथा के रूप में दिया जाता है लेकिन इसमें धारा 13 के तहत आने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है। वह हमें S.2 (l) में "अधिसूचित बाजार क्षेत्र" की परिभाषाओं में भी ले गया है जिसका अर्थ है धारा 6 के तहत अधिसूचित कोई भी क्षेत्र; खुदरा बिक्री {S.2(q)} जिसका अर्थ है कृषि उपज की बिक्री ऐसी मात्रा से अधिक नहीं है जो निर्धारित

की जा सकती है; धारा 10 (i) जो लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने और लाइसेंस रद्द करने के आवेदन से संबंधित है: धारा 43 जो राज्य सरकार से संबंधित है कि वह अधिनियम के ^ प्रयोजनों के लिए नियमों को अधिसूचित करे और इन प्रावधानों के ढांचे में यह तर्क दिया गया है कि 2000 के नियम राज्य की नियम बनाने की शक्ति से परे हैं।

(बारह) श्री आलोक जैन ने नियम 17 (ii) की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा निर्धारित करता है और उप नियम (ii) कमीशन एजेंट, कच्चा आर्टिया या कृषि उपज की बिक्री, खरीद या भंडारण के लिए अन्य थोक व्यापारी के पास लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा जमा की समान राशि है और इसलिए, वे एक समूह बनाते हैं और इसलिए, वे एक समूह बनाते हैं और इसलिए, उल्लंघन करने वाला नियम 3 (iii) भेदभावपूर्ण है। हम तर्क से प्रभावित नहीं हैं। कच्चा आर्टिया और थोक व्यापारी के बीच गुणात्मक अंतर है। परिभाषा के अनुसार कच्चा आर्टिया का अर्थ है एक डीलर जो कमीशन के विचार में कृषि उपज बेचने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। केवल इसलिए कि लाइसेंस शुल्क या 60/- रुपये प्रति वर्ष या 300/- रुपये की सुरक्षा समूह के भीतर सभी के लिए प्रभार्य है, हमें नियम 3 (iii) को रद्द करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, जिसे एक वर्ग की रक्षा के लिए बनाया गया है जो बाजार यार्ड के डीसी-अधिसूचना के निर्णय के प्रति संवेदनशील पाया गया था।

(तेरह) अधिनियम और नियमों को पढ़ने पर, हम पाते हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए धारा 10 के तहत डीलर लाइसेंस के व्यवसाय की सीट मंडला की भौतिक सीमाओं के भीतर होनी चाहिए जो अधिनियम और नियमों की आवश्यकता है कि नीलामी, नीलामी के लिए उपज की बिक्री और खरीद के लिए अधिसूचित मार्केटैर्यार्ड या उप यार्ड के भीतर होगी। दुकानें/बूथ, यदि वे मौजूद हैं, तो वे केवल बिक्री और खरीद की सुविधा के लिए हैं। यह सुविधा के लिए अधिक है। किसी लाइसेंसधारी डीलर को वैकल्पिक स्थल अथवा दुकान उपलब्ध कराने के मुद्दे की जांच माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स चिंट राम राम चंद बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2) के मामले में की गई है और यह पाया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) अथवा 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। इस मामले में नए बाजार यार्डों में वैकल्पिक दुकानों के आवंटन के मौजूदा लाइसेंसधारकों/डीलरों के अधिकारों और खुली नीलामी के खिलाफ उनके दावे और नए बाजार में उचित दर पर वैकल्पिक स्थलों या दुकानों के आवंटन के लिए विचार किया गया था कि नीलामी द्वारा बिक्री सरकार द्वारा संपत्ति के निपटान/बिक्री का सबसे उचित साधन है। यह सभी को बोली लगाने का अवसर देता

है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता बिना किसी प्रतिबंध के नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(चौदह) एमए रामा फ्रूट कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (3) में इस अदालत की डिवीजन बेंच ने 5000/- रुपये प्रति (2) (1996) 9 एससीसी 338 के बाजार शुल्क के भुगतान के संदर्भ में 2000 के नियमों के नियम 3 (i) (iii) की जांच की है

(तीन) 2009 (4) आरसीआर (सिविल) 3 89

पिछले दो वर्षों के लिए वर्ष या जिनके पास 2.5 लाख रुपये का वार्षिक कारोबार था, वे नए बाजार यार्ड में भूखंडों के आवंटन के लिए पात्र होंगे। पुरानी सब्जी मंडी की अधिसूचना रद्द करने से यह माना गया है कि ऐसा प्रावधान न तो मनमाना है और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित है। इस अदालत ने पूर्व सैनिक संघों के परिसंघ बनाम भारत संघ (4) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जो इस मामले के प्रासंगिक भाग में निम्नानुसार है: -

> "मूल सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 14 को सूचित करता है, वह समानता और भेदभाव के खिलाफ निषेध है। अनुच्छेद 14, हालांकि, कानून के उद्देश्य के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है और इस तरह के वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित होने के उपरोक्त दोहरे परीक्षण को पूरा करना चाहिए जो व्यक्तियों या चीजों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है जो समूह से बाहर रह गए हैं और उस अंतर का उस उद्देश्य के लिए एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्न में क़ानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए उपरोक्त दोहरे परीक्षण को लागू करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि वर्गीकरण श्रेणी (ii) के लाइसेंसधारी को दुकानों/भूखंडों को आवंटित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसे पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा 10 के तहत कच्चा कला का व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, (ख) नए बाजार क्षेत्र में 1961 से एक अधिसूचना जारी की गई है जहां पुराने बाजार को अनधिसूचित कर दिया गया है और उस श्रेणी के पुराने लाइसेंस डीलरों को विस्थापित कर दिया गया है। पुले 3 के उप-नियम (1) के खंड (iv) ने ऐसे सभी व्यक्तियों को लाभ से बाहर रखा है जिनके पास वस्तुतः कोई व्यवसाय नहीं है और खंड (iv) एक वास्तविक डीलर का पता लगाने के लिए एक परीक्षण करता है जो व्यवसाय का लेन-देन करता है कि ऐसे लाइसेंसधारी ने पिछले दो वर्षों के लिए कम से कम पीएस 5,000/- प्रति वर्ष का बाजार शुल्क का भुगतान

किया होगा। यदि वह बाजार शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो पिछले दो वर्षों के दौरान उसका वार्षिक, टर्नओवर कम से कम पीएस 2,50,000/- होना आवश्यक है। ऐसे लाइसेंसधारियों को उस समूह से बाहर रखा गया है जिसे भूखंड/दुकानें आरक्षित मूल्य पर आवंटित की जानी हैं जैसा कि पुले में प्रदान किया गया है।

(चार) 2006 (4) एससीटी 128

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक लाइसेंसधारी जो 5,000/- रुपये का बाजार शुल्क जमा नहीं करता है, उसके पास बाजार समिति में लेनदेन करने के लिए शायद ही कोई व्यवसाय है और वह किसी भी रियायती दर का हकदार नहीं होगा जो वर्गीकृत समूह पर लागू है। नियम का उद्देश्य पुराने लाइसेंस प्राप्त डीलरों की मदद करना है जो पुराने बाजार क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं और उन्हें नेट बाजार क्षेत्र में भूखंडों की भी आवश्यकता होगी। खंड (iv) द्वारा निर्धारित मानदंड का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ सीधा संबंध है, अर्थात् नए बाजार क्षेत्र में पुराने लाइसेंस प्राप्त डीलरों को दुकानों/भूखंडों का आवंटन। वर्गीकरण उचित है और एक तर्क सिद्धांत पर आधारित है जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से सह-संबंधित है। इसलिए, हम यह नहीं पाते हैं कि नियमों के नियम 3 के उप-नियम (जे) का खंड (iv) मनमानेपन के दोष से ग्रस्त है ताकि संविधान के अनुच्छेद J 4 के समान उल्लंघन की घोषणा की जा सके। वास्तव में, यह खंड दोहरे परीक्षण को संतुष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में मैसर्स अविनाश एंड कंपनी बनाम भारत संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भी ऐसा ही एक विवाद हमारे विचारार्थ आया था। हरियाणा राज्य और अन्य (2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या जे 8321, 22.10.2008 को निर्णय लिया गया)। उक्त मामले में पुराने लाइसेंसधारी के दावे को खारिज करने वाले मुख्य प्रशासक द्वारा पारित आदेश, जो नियमों के नियम 3 के उप-खंड (1) के खंड (ii) और (iv) की शर्त को पूरा नहीं करता था, चुनौती का विषय था। नियमों के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद, हमने दिनांक 22.10.2008 के आदेश के तहत याचिका को खारिज कर दिया है। "

इसके अलावा, मेसर्स रोज़ी ट्रेडिंग कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच को उसी नियम 2000 के नियम 3 (1) (iv) की शक्ति की जांच करने का अवसर मिला और पूर्वोक्त नियमों की शक्तियों को बरकरार रखा है। खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (5) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के परीक्षण को नियम 3 (i) (iv) को बरकरार रखने के लिए लागू किया, जिसमें प्रावधान है कि एक लाइसेंसधारी केवल तभी आवंटन का हकदार होगा जब वह पिछले दो वर्षों के लिए कम से कम निर्धारित 5000/- रुपये सालाना के बाजार शुल्क का भुगतान करता है, इस

(5) एआईआर 1952 एससी 75

शर्त के साथ कि मामला

(श्रेणी 2 लाइसेंसधारक) जो स्वयं बाजार शुल्क का भुगतान नहीं करता है, उसका वार्षिक कारोबार कम से कम 2.50 लाख रुपये होना चाहिए। हम संविधान पीठ के पैरा 54 को पुन: प्रस्तुत करेंगे:-

> "54... परीक्षण पास करने के लिए, दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (जे) कि वर्गीकरण को एक समझदार अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो उन लोगों को अलग करता है जो दूसरों से एक साथ समूहीकृत होते हैं और (2) कि उस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। अधिनियम के वर्गीकरण और उद्देश्य का आधार जो अंतर है, वे अलग-अलग चीजें हैं और जो आवश्यक है वह यह है कि उनके बीच एक सांठगांठ होनी चाहिए। संक्षेप में, जबकि अनुच्छेद विशेषाधिकार प्रदान करके या प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकारों या लगाए जाने के लिए प्रस्तावित दायित्व के संबंध में समान रूप से स्थित बड़ी संख्या में अन्य व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चुने गए व्यक्तियों पर दायित्व लगाकर अनुचित भेदभाव करने के अर्थ में वर्ग कानून को मना करता है, यह कानून के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण को मना नहीं करता है, बशर्ते ऐसा वर्गीकरण मनमाना न हो... "

दोहरे परीक्षण को लागू करके, हम नियम 3 (i) (i i i) के वाइस को बनाए रखते हैं क्योंकि थोक डीलरों और कच्चे आर्टिया के बीच एक उचित वर्गीकरण बनाया गया है और कमजोर की रक्षा करने का उद्देश्य प्रशंसनीय था और लेकिन इस सुरक्षा के लिए, उसे उखाड़ फेंका गया होगा।

(पंद्रह) अब हम मुख्य प्रशासक द्वारा पारित दिनांक 21.1.2008 (पीएल और पी 2) के आक्षेपित आदेशों की संक्षेप में जांच करेंगे, जिसमें याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह इस न्यायालय के एक आदेश के परिणामस्वरूप पारित किया गया था। यह आदेश से पता चलता है कि 1988 में पुराने बाजार की अधिसूचना रद्द करने के समय, उक्त बाजार के पुराने लाइसेंसधारियों को आरक्षित मूल्य पर अधिमानी आवंटन ओ/प्लॉट के माध्यम से नए अनाज बाजार में विधिवत समायोजित किया गया था। याचिकाकर्ता तब कहीं नहीं दिखे और उन्होंने दावा किया कि उन्हें 1.5.1992 के बाद लाइसेंस जारी किए जाएंगे। थोक व्यापारी का कारोबार करने के लिए उन्हें डी-नोटी में जारी किए गए लाइसेंस बाजार से भाग गए। कच्चा हरतिया का लाइसेंस डीसी-अधिसूचित बाजार में जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह पुराने बाजार से आवेदकों के विस्थापन का मामला नहीं है। बाजार समिति ने कंपनी पर लाइसेंस के तहत थोक विक्रेता के रूप में अपना कारोबार करने पर कोई

रोक नहीं लगाई है और यह कंपनी के लिए स्वतंत्र है

अपने कौशल के अनुसार अपने व्यवसाय की व्यवस्था करें और उसे पूरा करें। याचिकाकर्ताओं की नजर केवल संपत्ति पर है, जिसके पास कोई स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं है। हम आक्षेपित प्रावधानों को बरकरार रखते हैं।

(सोलह) हमें मुख्य प्रशासक, एचएसएएमबी, पंचकूला द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में कोई कानूनी दुर्बलता या क्षेत्राधिकार की त्रुटि नहीं मिलती है। नतीजतन, याचिका को गुण-दोष के आधार पर भी खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु

न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा